S.No.	Name of Scheme(s)	Amount sanctioned (in Rs.)	
8.	Watershed Development	37,00,000	13,50,000
9.	Disability	23,79,080	23,71,625
10.	Social Animators Training	1,39,500	—
11.	Panchayati Raj	4,98,750	—
12.	Media	3,61,000	—
13.	Misc./Training	—	9,63,100
	TOTAL	6,52,51,374	5,53,65,715

भूमि सुधार में प्रगति

915. **श्री गोविन्दराम मिरीः** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में राज्यों द्वारा किए जा रहे भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की राष्ट्रीय स्तर पर समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1998 तक प्रत्येक राज्य द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के संबंध में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भूमि सुधार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लगभग सभी राज्यों का कार्य निष्पादन अब तक अपेक्षित स्तर से अत्याधिक कम रहा है; और

(घ) इस संबंध में अद्यतन ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौडा पाटील): (क) जी, हां, हाल ही में दिनांक 17 सितम्बर, 1998 को नई दिल्ली में सम्पन्न राजस्व मंत्रियों के सम्मेलन में भूमि सुधारों के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।

(ख) सीलिंग की फालतू भूमि के वितरण के संबंध में बीस सूत्री कार्यक्रम के बिन्दु 5-क के अन्तर्गत राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। वर्ष 1995-96, 1996-97 तथा 1997-98 के लिए राज्यवार लक्ष्य और उपलब्धियां क्रमशः विवरण-I में दी गई हैं। (नीचे देखिए)

(ग) और (घ) जी, नहीं।

हिमाचल प्रदेश को छोड़कर लगभग सभी राज्यों ने बहुत अच्छा किया है और कब्जे में ली गई फालतू भूमि के वितरण के लिए अखिल भारतीय औसत निष्पादन लगभग 80% है। संगत आकड़ों के अद्यतन राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण—I

(i) वर्ष 1995-96

क्रम सं॰	राज्य का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
		1995-96	1995-96
1.	आंध्र प्रदेश	7578	10773
2.	असम	38040	3228
3.	बिहार	4515	5816
4.	गुजरात	1600	1530
5.	हरियाणा	4483	189
6.	हिमाचल प्रदेश	4183	0

क्रम सं०	राज्य का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
		1995-96	1995-96
7.	जम्मू व कश्मीर	5575	0
8.	केरल	1992	171
9.	मध्य प्रदेश	922	85
10.	महाराष्ट्र	238	471
11.	मणिपुर	3	0
12.	उड़ीसा	696	833
13.	पांडिचेरी	31	0
14.	पंजाब	80	50
15.	राजस्थान	8190	8898
16.	तमिलनाडु	102	3354
17.	उत्तर प्रदेश	947	5624
18.	पश्चिम बंगाल	98	10788
19.	दादरा व नगर हवेली	343	76
	कुल जोड़:	79616	51886

(ii) वर्ष 1996-97

क्रम सं०	राज्य का नाम	लक्ष्य	उपलब्धि
		1996-97	1996-97
1.	आंध्र प्रदेश	9000	3427
2.	असम	28570	3163
3.	बिहार	3300	1841
4.	गुजरात	1600	1892
5.	हरियाणा	1460	534
6.	कर्नाटक	8160	937
7.	केरल	2620	185
8.	मध्य प्रदेश	9260	280
9.	महाराष्ट्र	520	421
10.	उड़ीसा	870	958
11.	पांडिचेरी	100	0
12.	पंजाब	50	277
13.	राजस्थान	5050	3444
14.	तमिलनाडु	1320	3173
15.	त्रिपुरा	10	0
16.	उत्तर प्रदेश	5000	4870
17.	दादरा व नगर हवेली	340	0
	कुल योग:	77230	25402

(iii) वर्ष 1997-98

क्रम सं॰	राज्य का नाम	लक्ष्य 1997-98	उपलब्धि 1997-98
1.	आंध्र प्रदेश	10000	4910
2.	असम	10000	1242
3.	बिहार	3720	1087
4.	गुजरात	1500	3161
5.	हरियाणा	890	480
6.	कर्नाटक	1780	419
7.	केरल	2700	303
8.	मध्य प्रदेश	5910	1042
9.	महाराष्ट्र	1670	1261
10.	उड़ीसा	740	749
11.	पांडिचेरी	190	0
12.	पंजाब	1150	54
13.	राजस्थान	3150	3187
14.	तमिलनाडु	2550	2826
15.	उत्तर प्रदेश	5000	6233
16.	पश्चिम बंगाल	1000	10408
17.	दादरा व नगर हवेली	350	0
	कुल योग:	52300	37362

विवरण —II

दिनांक 31.3.1998 की स्थिति के अनुसार कब्जे में ली गई फालतू भूमि और व्यक्तिगत लाभार्थियों को वितरित करने के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निष्पादन

क्रम सं॰	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निहित भूमि और कब्जे में ली गई भूमि	व्यक्तिगत लाभार्थियों में वितरण	प्रतिशत
1.	आंध्र प्रदेश	638107	576021	90.27
2.	असम	575837	483822	84.02
3.	बिहार	386505	304942	78.89
4.	गुजरात	158363	134988	85.24
5.	हरियाणा	88172	87377	99.10
6.	हिमाचल प्रदेश	281652	3340	1.19
7.	जम्मू व कश्मीर	450000	450000	100.00
8.	कर्नाटक	155118	118441	76.36

क्रम सं॰	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	निहित भूमि और कब्जे में ली गई भूमि	व्यक्तिगत लाभार्थियों में वितरण	प्रतिशत
9.	केरल	95984	64765	67.47
10.	मध्य प्रदेश	306150	185624	60.63
11.	महाराष्ट्र	666190	556532	83.54
12.	मणिपुर	1685	1682	99.82
13.	उड़ीसा	166150	155193	03.41
14.	पंजाब	105181	103545	98.44
15.	राजस्थान	567010	458734	80.90
16.	तमिलनाडु	171114	165922	96.96
17.	त्रिपुरा	1944	1599	82.25
18.	उत्तर प्रदेश	537112	400843	74.63
19.	पश्चिम बंगाल	1261859	1023663	81.14
20.	दादर व नगर हवेली	9305	6851	73.63
21.	दिल्ली	394	394	100.00
22.	पांडिचेरी	1160	1023	88.10
	कुल:	6624992	5285501	79.78

परिधान क्षेत्र का आधुनिकीकरण

916. **श्री गोपाल सिंह जी सोलंकी:** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिधान क्षेत्र को सुदृढ़ करने तथा उसके आधुनिकीकरण हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में क्या बजटीय प्रावधान किए गए हैं; और

(घ) क्या परिधान क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार की कोई कार्य योजना है?

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा): (क) से (घ) सरकार ने प्रौद्योगिकीय उन्नयन निधि योजना को शुरू करने का अनुमोदन किया है जिसके अंतर्गत पात्र वस्त्र और पटसन एककों को ब्याज की लागू दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों/बैंकों से पात्र एककों को 5% का ब्याज प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत परिधान क्षेत्र को भी शामिल किया गया है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) परिधान क्षेत्र को ऋण दात्री नोडिए एजेंसी होगी। यह योजना 1.4.1999 से शुरू की जाएगी।

इसके अतिरिक्त सरकार निर्यातोंन्मुख परिधान क्षेत्र के बहुमुखी विकास के लिए निरंतर कदम उठा रही है जैसे कि क्रेता-विक्रेता बैठकों, मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यातकों को प्रोत्साहन देना, निर्यात उत्पादन के लिए रियायती शुल्क पर पूंजीगत माल का आयात करने का अधिकार देना, निर्यात उत्पादन के लिए कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात के विशेष प्रबंध करना, निर्यात ऋण की बढ़ी हुई उपलब्धता सुनिश्चित करना, मानव संसाधन विकास तथा समूचे देश में परीक्षण सुविधाएं स्थापित करना आदि।

Bar by EC on Indian textiles exports

917. SHRI SANTOSH BAGRODIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that European Commission has barred exports of garments and trousers from India worth hundreds of crores, for no serious reason; and